मध्यप्रदश शासन
वित्त विभाग
<u>मंत्रालय</u>

क्रमांक २२ /2873/2020/ई/चार, भोपाल, दिनांक 04/01/2021

प्रति,

समस्त विभाग
मध्यप्रदेश शासन।

विषयः- मध्यप्रदेश राज्य के कर्मचारियों हेतु स्वास्थ्य बीमा उत्पाद "**आरोग्य संजीवनी पॉलिसी**" बावत्।

संदर्भः- आईआरडीएआई का पत्र क्रमांक 319/आईआरडीएआई/एचएलटी/एबीआर/2018-19, दिनांक 9 नवम्बर,2020।

----0-----

विषयान्तर्गत भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी संदर्भित पत्र एवं प्रेस विज्ञप्ति की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया जारी निर्देशों से सर्वसंबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

4/1/21

(विजय कठाने)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग

C:\Users\WIPRO\Desktop\MS\Rule.doc

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ : 319/आईआरडीएआई/एचएलटी/एबीआर/2018-19 — 09 नवम्बर, 2020
Ref: 319/IRDAI/HLT/ABR/2018-19 — 09th, November,2020

प्रति / To
मुख्य सचिव / The Chief Secretary,
सभी राज्य / संघशासित क्षेत्र / All States / UTs,

महोदया/महोदय
Madam / Sir,

यह भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित एक मानक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद "आरोग्य संजीवनी पॉलिसी" के संबंध में है, जिसे सभी साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा विक्रय करना अनिवार्य किया गया है। हम इसे, सामान्य रूप से राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए और कोविड-19 के मुख्य योद्धा सहित विशेष रूप से डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों, नगर निगम के कर्मचारियों, शिक्षकों, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए उनके अपने समूह पॉलिसी फार्म में शामिल करने के लिए लिख रहे हैं।

This is regarding a Standard Health Insurance Product "Arogya Sanjeevani Policy" developed by Insurance Regulatory and Development Authority of India, and mandated to be sold by all general and health insurance companies. We are writing this to consider this in its group policy form for State Govt. employees in general, and specifically for front-line Covid-19 warriors including doctors, nurses, health workers, police personnel, municipal employees, teachers, Anganwadi and ASHA Workers.

1. सभी व्यक्तियों को अप्रत्याशित स्वास्थ्य आकस्मिकताओं के समक्ष उचित सुरक्षा के साथ कवर किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए, हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच स्वास्थ्य बीमा का संवर्धन करना महत्वपूर्ण है। आईआरडीएआई के साथ पंजीकृत विभिन्न बीमा कंपनियाँ भिन्न लाभ संरचना के साथ अनेक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद प्रदान कर रही है। प्रत्येक उत्पाद की अपनी एक अनूठी विशेषताएं हैं और बीमा करने वाली जनता को कभी-कभी एक उपयुक्त उत्पाद का चयन करने में चुनौती का सामना करना पड़ता है। अतः उक्त के आलोक में, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ने अपने हितधारकों के साथ विचार-विमर्श कर एक मानक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद विकसित की है।

   It is important to promote health insurance amongst various sections of our society in order to ensure that all individuals are covered with an appropriate protection against unforeseen health contingencies. Various insurance companies registered with IRDAI are offering a number of health insurance products with varied benefit structure. Each product has unique features and the insuring public may sometimes find it challenging to choose an appropriate product. Therefore, keeping this in view, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has developed a Standard Health Insurance Product "Arogya Sanjeevani Policy" in consultation with stakeholders.

2. इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ,आईआरडीएआई ने सभी साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को "आरोग्य संजीवनी पॉलिसी"(एएसपी) प्रदान करना अनिवार्य किया है जो कि निम्नलिखित सुनिश्चित करता है :

   Further, with the following objectives, IRDAI has mandated all general and health insurers to offer the "Arogya Sanjeevani Policy" (ASP) which ensures the following:

   - एसीपी बीमाकृत जनता की आधारीय स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

The ASP takes care of basic health needs of insuring public

- यह सभी बीमाकर्ताओं की एक समान पॉलिसी वाक्य रचना के साथ मानक उत्पाद है।
  It is a standard product with uniform policy wordings across the insurers

- बीमाकर्ताओं के बीच निर्बाध सुवाह्यता की सुविधा देता है।
  Facilitates seamless portability amongst insurers.

3. यह पॉलिसी अधिकांश बीमारियों को कवर करती है और किसी भी अस्पताल में भर्ती या शल्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए लाभकारी होगी। मानक पॉलिसी के नियम और शर्तें पहले ही हमारे ईमेल दिनांक अक्टूबर 27, द्वारा 2020 अग्रेषित कर दी गई हैं। आपको सूचित करना है कि मानक पॉलिसी के नियम और शर्तें आईआरडीएआई की वेबसाइट (www.irdai.gov.in). से भी डाउनलोड की जा सकती है। उसी के लिए सीधा लिंक तत्काल संदर्भ के तहत दिया गया है।

   The policy covers most of the diseases and will be beneficial for any hospitalization or surgical needs. The terms and conditions of the standard policy are already forwarded by our email dated 27th October,2020. It is to inform you that the standard policy terms and conditions can also be downloaded from IRDAI website (www.irdai.gov.in). Direct link for the same is given as under for ready reference.

   https://www.irdai.gov.in/admincms/cms/uploadedfiles/Guidelines%20on%20Standard%20Individual%20Health%20Insurance%20Product.pdf

4. आरोग्य संजीवनी समूह पॉलिसी उत्पादन, सेवाओं, एसएमई, एमएसएमई, प्रचालन तंत्र सहित अन्य समूहों के कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करती है।

   The Arogya Sanjeevani group policy provides protection to employees engaged in manufacturing, services, SMEs, MSMEs, logistics along with other groups.

5. राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश सरकार "आरोग्य संजीवनी समूह पॉलिसी" का उपयोग अपने राज्य/ केन्द्रशासित प्रदेशों के कर्मचारियों अथवा आम जनता को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए कर सकती है।

   The State / UT Government may make use of the "Arogya Sanjeevani Group Policy" for providing health insurance coverage to either employees or the general public in your State/UT.

आदर सहित / Kind regards,

(सुरेश माथुर / Suresh Mathur)
कार्यकारी निदेशक / Executive Director
आईआरडीएआई, हैदराबाद / IRDAI, Hyderabad

प्रति / Copy to :

1) प्रधान सचिव, स्वास्थ्य / Pr. Secy., Health
2) प्रधान सचिव, कार्मिक / Pr. Secy., Personnel

} के सूचनार्थ / for information